कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14395/1509 दिनांकः– 27.01.14

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, मनिहारी के वर्ष 2011–12 से 12–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 381/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार
24 FEB

1437(S)
26/2/14

नगर पंचायत, मनिहारी

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या– 381 / 13–14
(अवधि– 2011–12 से 12–13 तक)

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, मनिहारी के वितीय वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक के लेखाओं की नमूना जॉच महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा सामाजिक प्रक्षेत्र– I पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 27.05.2013 से 01.06.2013 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क्रम सं0	मुख्य पार्षद का नाम.	अवधि
1.	श्रीमति चन्द्रलेखा देवी	01.04.11 से जुन 12
2.	श्रीमति ममता देवी	जुन 12 से 31.03.13

क्रम सं0	कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
1.	श्रीमति सुनीता कुमारी	01.04.11 से 06.07.11
2.	श्री महेश प्रसाद सिंह	07.07.11 से 31.03.11

3. लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत एवं नमूना जाच किए गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– 1 पर तथा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों एवं बहियों की सूची परिशिष्ट–2 पर दी गयी है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं के निस्तारण हेतु अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप लंबित कंडिकाओं का निस्तारण नहीं किया जा सका। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के लंबित कंडिकाओं का विवरण निम्नलिखत है–

क0 स0	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0	अंकेक्षण वर्ष	लंबितकंडिकाओं की सं0
1	23 / 94–95	1981–82 से 92–93	05
2	66 / 2002–03	1993–94 से 2001–02	28
3	–	2002–03 से 07–08	–
4	07 / 12–13	2008–09 से 2010–11	12
			कुल–64

लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक जाच हेतु अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

5. आंतिरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बिहार म्यूनिसिपल लेखा नियम– 1928 (धारा–20, 64 एवं 73 क इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जॉच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाय के द्वारा किया जाएगा। इस तरह जॉच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी सम्भावित वितीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गयी थी।

अभिलेखों की जॉच के क्रम में यह पाया गया कि इस तरह की जॉच की व्यवस्था नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा नहीं की गयी, जिसके कारण अभिलेखों के संधारण में अनियमितता पायी गयी जिसका उल्लेख प्रतिवेदन की कंडिकाओं में की गयी है।

अतः, नगर पंचायत प्रशासन को सलाह दिया जाता है कि नियम के उपबंधों के अनुरूप जॉच की व्यवस्था की जाय, ताकि किसी भी संभावित अनियमितता से बचा जा सके।

6. लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

क्रम सं0	कंडिका	विवरण	राशि
1.	11(1)	गृहकर के अतिरिक्त अन्य करों का अधिरोपण नहीं	रू–282172.00
2.	12	संचार(मोबाइल) टावर पर बकाया	रू–230000.00
3	14(3)	वाटर टैंक के क्रय में अनियमितता	रू–170000.00
4	14(5)	सेक्शन मशीन के क्रय में अनियमितता	रू–650000.00
5	14(6)	कूडादानी के क्रय में अनियमितता	रू–390000.00
6	14(7)	सोलर स्ट्रीट लाईट के क्रय में अनियमितता	रू–1560241.00
7	15(2)	चापाकल अधिष्ठापन में अनियमितता (चतुर्थ राज वित)	रू–894986.00
8	16	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में अनियमितता	रू–263580.00
9	18(2)	योजना का अनियमित कार्यान्वयन	रू–438000.00
10	18(3)	सफाई पर अतिरिक्त व्यय	रू–1233748.00
11	18(4)(2)	सफाई पर अतिरिक्त व्यय (13वीं वित)	रू–2205000.00

7. स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल

नगर पंचायत, मनिहारी में स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल की तालिका निम्न है–

क0सं0	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1	प्रधान सहायक सह लेखापाल	1	1	–
2	कर दारोगा	1	1	–
3	कार्यालय आदेशपाल	1	1	–
4	सफाई जमादार	1	0	1
5	सफाई कर्मी	5	1	4

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर पंचायत में सफाई जमादार एवं सफाई कर्मियों की भारी कमी है।

अंकेक्षण टिप्पणी

(1) रिक्त पद भरने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सरकार से अनुरोध नहीं किया गया था।

(2) स्वीकृत बल से संबंधित नगर पंचायत विकास विभाग का पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(3) मानदेय पर नियुक्त कर्मचारियों की संचिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अंकेक्षण के जबाव में कहा गया कि उठाये गये आपति का भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

अतः, रिक्त पदों को भरने के लिए किए गये प्रयासों एवं स्वीकृत बल से संबंधित पत्र से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया। अत इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

8(1)अधिदृश्य

नगर पंचायत, मनिहारी केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के आय स्रोत से वित पोषित है, जिसके लिए एक पी0एल0 खाता के रोकड बही का संधारण किया गया था, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक के आय– व्यय की स्थिति निम्न प्रकार था।

क0 सं0	विवरण	2011–12	2012–13
1.	प्रा0शेष (1.04.2011) अंकेक्षण प्र0 के अनुसार	6573956.00	10633307.00
2.	प्राप्तियॉ	8909372.00	11868881.00
3.	कुल जोड	15483328.00	22502188.00
4.	व्यय	4850021.00	12773855.00
5.	अंतशेष	10633307.00	9728333.00

कोषागार पासबुक एवं बैंक पासबुक का शेष 31–03–13

1 कोषागार पासबुक	रू0–7168261.02
2 सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मनिहारी खाता सं–11014 / 2107135285	रू0–113029.30
3 सी0बी0 आई0 खाता सं–12610(31.05.2011तक)	रू0–1229.20
4 सी0बी0 आई0 खाता सं–12817 / 2107149764 (31.05.2011तक)	रू0–69994.40
5 तथैव खाता सं–11451(31.05.2011तक)	रू0–1323.90
6 एस0बी0आई0 मनिहारी खाता सं–7 / 30079(27.04.06)	रू0–589.00
7.कोशी क्षेत्रीय ग्रा0 बैंक, मनिहारी खाता सं–17(25.06.12)	रू0–781.00
8.कोशी क्षेत्रीय ग्रा0 बैंक, मनिहारी खाता सं–07(26.09.11)	रू0–137.00
9. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मनिहारीखाता सं–3100225996	रू0–2724823.00
अन्तर की राशि रू0–288834.82(10017167.82.9728333)	
	कुल–10017167.82

अंकेक्षण टिप्पणी

(1) रोकड़बही के जॉच के क्रम में पाया गया कि पृ0सं0–114 में रू0–405000.00 दोबारा अन्तशेष में घटा दिया गया था। जिसके कारण कुल शेष की राशि रू0–6109189.00 के जगह पर रोकड़ बही में कुल राशि 5704189.00 दर्शाया गया था तथा उसी प्रकार पृ0सं0 –161 पर कुल योग की राशि रू0–8759338.00 में रू0– 751500.00 घटाने पर संवरण शेष रू0–8007838.00 होना चाहिए था जबकि रोकड़ बही में संवरण शेष 8008338 दर्शाया गया था जिसके कारण संवरण शेष 500.00 कम जोड़ा गया था।

(2) रोकड़ बही निर्धारित /विहित फार्म में संधारित नहीं किया जा रहा है।

(3) शीर्षवार प्राप्ति व्यय को दर्शाया नहीं गया था।

(4) रोकड़ बही के अन्तशेष (31.03.2013) एवं पासबुक के अन्तशेष की अन्तर की राशि रू0–288834.82 का बैंक समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

8(2) पि0क्षे0अ0नि0 का अधिदृश्य

वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि का प्राप्ति एवं भुगतान की स्थिति इस प्रकार है–

क0 सं0	विवरण	2011–12	2012–13
1.	प्रा0शेष–	4824846.00	5600000.00
2.	प्राप्ति–अनुदान–	743000.00	1775482.00
3.	ब्याज–	32176.00	377436.00
4.	कुल प्राप्ति(1+2+3) –	5600022.00	7752918.00
5.	वर्ष में किया गया व्यय–	22.00	4558987.00
6.	अंतशेष–	5600000.00	3193931.00

बैंक शेष

	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि(रू0)
1.	यूनियन बैंक	540302010002673	1266300.00 (04.02.13 को)
2.	इलाहाबाद बैंक	50039680761	3517153.00 (05.01.13 को)

अंकेक्षण टिप्पणी

1. बैंक शेष तथा रोकड बही शेष में 1589522.00 की राशि का अंतर है।

   उपरोक्त आपति के जबाव में कहा गया कि बैंक समाधान विवरणी बनाकर दिखा दिया जायेगा।

2. पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि में राशि की उपलब्धता के बाबजूद वर्ष 2011–12 में कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गयी। फलस्वरूप अनुदान राशि बाधित रही एवं योजना का उद्देश्य निष्फल रहा।

   उपरोक्त आपति के जबाब में कहा गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

   अतः बैंक समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

9. बजट प्राक्कलन

बिहार एवं उडीसा नगरपालिका अधिनियम– 2007 की धारा– 82 एवं 84 के प्रावधान के अनुसार नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष बजट तैयार करेगा। जिसमें आगामी वर्ष में होने वाले आय एवं व्यय का उल्लेख रहेगा। प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथासंभव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका में प्रस्तुत करेगा। बजट प्राक्कलन और उस पर सशक्त स्थाई समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो तो विचार करेगी तथा प्रत्येक 15 मार्च तक राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजेगी।

नगर पंचायत, मनिहारी का वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक का बजट प्राक्कलन अंकेक्षण में आवश्यक जॉच हेतु उपस्थापित नहीं किया गया था। इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

10. अनुदान

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिसके कारण अनुदानों की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। रोकडबही के अनुसार नगर पंचायत को वर्ष 2011–12 से 12–13 तक में कुल राशि रू0– 22392450.00 का अनुदान प्राप्त हुआ था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– 3 पर संलग्न)

अतः नगर पंचायत प्रशासन को सलाह दिया जाता है कि प्राप्त अनुदान को विहित अनुदान पंजी में अनुपयुक्त अनुदान, वर्ष में प्राप्त अनुदान, व्यय की गयी राशि एवं वर्ष के अन्त में शीर्षवार अनुपयुक्त अनुदान की स्थिति हेतु अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

11(1) गृहकर के अतिरिक्त अन्य करों का अधिरोपण नहीं होने से रू0–282172.00 की राजस्व हानि

बिहार सरकार द्वारा विभिन्न पत्रों द्वारा निर्देश दिया गया है कि नगर पंचायत विभिन्न स्रोतों से अपनी आय को बढाने का प्रयास करे। परन्तु नगर पंचायत द्वारा गृहकर के अतिरिक्त अन्य करों यथा–जलकर, शौचकर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर आदि का अधिरोपण नहीं किया गया था।

वार्षिक मूल्यांकन का 9 प्रतिशत सम्पति कर (होल्डिंग कर) लिए जाने का प्रावधान है जिसमें गृहकर– 2.5 प्रतिशत, जलकर– 2.0 प्र0, शौचकर– 2.0 प्र0, शिक्षा उपकर– 1.25 प्र0 एवं स्वास्थ्य उपकर– 1.25 प्र0 सम्मिलित है। लेकिन नगर पंचायत मनिहारी द्वारा वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 तक में केवल गृहकर के रूप में रू0–108528.00 की राशि वसूली गयी थी। इस कारण नगर पंचायत रू0– 282172.00 के राजस्व से वंचित रहा। जिसकी विस्तृत विवरणी निम्न थी–

क0सं0	कर	राशि
1.	शौचालय कर	86822.00
2.	जलकर	86822.00
3.	शिक्षा सेस कर	54264.00
4.	स्वास्थय कर	54264.00
		कुल–282172.00

(विस्तत विवरण परिशिष्ट– IV पर संलग्न)

अतः रू0– 282172.00 की संभावित आय से नगर पंचायत वंचित रहा।

11(2) सरकारी भवनों पर बकाया किराया – रू0–22126.00

नगर पंचायत, मनिहारी द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणी के अनुसार नगर पंचायत मनिहारी में अवस्थित सरकारी भवनों पर कुल रू0– 22126.00 की राशि किराए के रूप में बकाया थी।

(विस्तत विवरण परिशिष्ट– V पर संलग्न)

अतः रू–22126.00 की राशि वसूलनीय है।

12. संचार मोबाइल टावरों का अपंजीकृत रहना एवं रू0–230000.00 शुल्क बकाया रहना

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाइल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.12 को अधिसूचित किया गया है ।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क रू0– 8000.00 प्रतिवर्ष प्रति टावर निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही टावर पर लगाए प्रत्येक एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण फीस तथा नवीकरण फीस अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है। नगर निकाय द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत 6 मोबाइल टावर अधिष्ठापित थे जिसमें से 6 टावर नगर निकाय से अपंजीकृत थे एवं अधिष्ठापित मोबाइल टावरों पर रू0–230000.00 (वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का) शुल्क बकाया था। जिसका विवरण निम्नवत है–

क0 सं0	टावर /जमीन मालिक का नाम	अधिष्ठापन वर्ष	पंजीकरण शुल्क(₹)	बाकी किराया(₹)	कुल बाकी(₹)
1.	टाटा डोकोमो	शून्य	30000	16000	46000.00
2.	भारती एयरटेल	शून्य	30000	16000	46000.00
3.	बी0 एस0 एन0 एल0	शून्य	30000	16000	46000.00
4.	रिलायन्स	शून्य	30000	16000	46000.00
5.	एम0टी0एस0	शून्य	30000	16000	46000.00
				कुल –	230000.00

अत मोबाइल टावरों पर कुल रू0–230000.00 का शुल्क बकाया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. अपंजीकृत टावरों को पंजीकृत करने एवं बकाया शुल्क रू0–230000.00 की वसूली हेतु नगर निकाय द्वारा किए गये प्रयासों से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।
2. अपंजीकृत टावरों का अधिष्ठापन वर्ष उस पर लगाए गए अतिरिक्त एंटिना एवं मोबाइल टावरों पर कुल बकाया से संबंधित पंजी एवं संचिका आवश्यक जॉच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः कुल रू0– 230000.00 की राशि वसूलनीय है।

13(1) नहीं जमा, एच0 रसीद(2755)

नगर पंचायत, मनिहारी का वर्ष 2011–12 से 12–13 के अंकेक्षण के दौरान एच0 रसीद/विविध रसीद तथा अन्य रसीद के द्वारा वसूली की गयी राशि में से कुछ राशि कम/नहीं जमा किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क0 सं0	एच0 रसीद सं0	दिनांक	वसूली गयी राशि	जमा की गयी राशि	कम जमा/नहीं जमा	कर संग्राहक का नाम
1	01–20	15.09.11	1105	1055	50	निरंजन कुमार राय
2	41	16.09.11	30	20	10	निरंजन कुमार राय
3	901–1000	18.10.11 से 23.10.11	2140	2130	10	निरंजन कुमार राय
4	3317	23.07.12	72	12	60	निरंजन कुमार राय
5	3735	27.09.12	40	10	30	निरंजन कुमार राय
6	1301–1400	15.12.11 से 22.12.11	2595	–	2595	निरंजन कुमार राय
				कुल	2755	

कुल रू0– 2755.00 रूपया श्री राय से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

13(2) बस पडाव कम जमा (27908)

बस पडाव की विभागीय वसूली से संबंधित रसीद एवं जमा करायी गयी राशि के नमूना जॉच में पाया गया था कि वसूलीकर्ता श्री निरंजन कुमार राय, कर दारोगा द्वारा कुछ राशि कम जमा किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

वर्ष	वसूली	जमा की गयी राशि	तिथि	कम जमा
11–12	345036	70400	26.06.11	
		49900	7.04.12	
		50000	18.04.12	
		114476	17.10.12	
		28536	28.03.12	
12–13	144434	1908	12.4.13	
		39000	5.4.13	
		13250	2.4.13	
		33905	2.4.13	
		20187	7.3.13	
		40000	7.3.13	
कुल–	489470	461562		27908

अतः कुल राशि रू0–27908.00 श्री राय से वसूलकर पंचायत कोष में जमा कराया जाय तथा अ लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

2. वर्ष 2011–12 में वसूली हेतु मात्र 01 से 23000 तक ही रसीद निर्गत किया गया एवं स्टाक पंजी में दर्ज है, तथा 23001 से 33300 तक बिना स्टाक में प्रविष्ट किये एवं बिना निर्गत किये गये रसीद से वसुली किया गया। वर्ष 2012–13 में भी जिस रसीद से वसुली किया गया, उसकी कोई प्रविष्टि न तो स्टाक पंजी में है एवं न ही उसे निर्गत किया गया है।

अतः, अगले लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया जाय कि उक्त रसीद कहॉ से प्राप्त किया गया था, तथा किसकी अनुमति से वसुली किया गया ।

3. वर्ष 2012–13 में विभागीय वसूली बहुत ही कम हुआ, जबकि इसके पूर्व 10–11 में इसकी बंदोबस्ती रू0– 261000.00 में हुआ था।

अतः स्पष्ट है कि विभागीय वसुली बहुत ही अनियमित ढंग से हो रही थी, इसलिए इसकी बंदोबस्ती की जानी चाहिए, ताकि नगर पंचायत की राजसव में वृद्वि हो सके ।

14(1) बैटरी के कय में अनियमितता रू0–3.44 लाख

नगर पंचायत मनिहारी के द्वारा पूर्व में अधिष्ठापित सोलर लाइटों की बैटरी बदलने के लिए 13 वीं वित की राशि से कुल 55 अदद नया बैटरी एक्साइड 75 ए0 एच0 कय करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नगर पंचायत ने तीन एजेंसियों से कोटेशन मॅगवाया। सबसे कम दर के आधार पर रहमान इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू बस स्टैण्ड, कटिहार को बैटरी आपूर्ति का आदेश दिया गया। नगर पंचायत मनिहारी के द्वारा बैट्री प्राप्त करने के बाद कुल रू0–343749.00 की राशि रहमान इलक्ट्रिकल्स, कटिहार का चेक सं0–255597/07.01.12 के द्वारा भुगतान की गयी।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. बैटरी के कय के लिए खुली निविदा आमंत्रित नहीं की गयी थी ।

2. आपूर्तिकर्ता के फार्म सी–3 में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उसे वैट की राशि भुगतान की जा सकती है। फार्म सी–3 प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में वैट की राशि कटौती करने के पश्चात ही भुगतान किया जाना चाहिए था। परन्तु फार्म सी–3 प्राप्त किए बिना ही आपूर्तिकर्ता को वैट के मद में रू0– 40886.00 भुगतान कर दिया गया।

3. बैटरी के कय के लिए कय समिति का गठन नहीं किया गया था ।

4. पुराने बैटरी की स्थिति का किसी तकनीकी अधिकारी से जॉच नहीं करवाया गया था ।

5. संचिका की जॉच में पाया गया कि कइ जगहों पर पुरानी बैटरी गायब पायी गयी थी। इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करायी गयी थी।

6. पुरानी बैटरी की स्टॉक रजिस्टर में भी प्रविष्टि नहीं की गयी।

7. संचिका के जॉच में पता चला कि सिर्फ 48 बैटरी का अधिष्ठापन किया गया शेष 7 बैटरी का क्या किया गया? इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

सादा था। इसमें न तो बैटरी नं0 था, न ही एजेंसी का मुहर था, न ही ह था। जबकि वारण्टी कार्ड में साफ अंकित था कि यह तभी मान्य है जब कालम पूर्ण रूप से भरे हुए हों ।

9. अधिष्ठापन प्रमाण पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि सभी बैटरी का एक ही नम्बर– 6एल एम एस 75 डाला गया था जो कि वास्तव में मॉडल नम्बर था। बैटरी नम्बर यूनिक नम्बर होता है।

अतः उपरोक्त त्रुटियों को दूर किये जाने तक कुल रू0– 343750.00 की राशि अंकेक्षण आपति के अधीन रखी जाती है।

14(2) निरस्त

14(3)वाटर टैंक के कय में अनियमितता

नगर पंचायत, मनिहारी की सामान्य बैठक दिनांक 14.03.2013 के प्रस्ताव सं0– 10 में लिये गये निर्णयानुसार पेयजल की समस्या से निपटने हेतु दो वाटर टैंक कय करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके अनुसार निविदा आमंत्रित किया गया जिसमें कुल 03 निविदादाताओं के द्वारा निविदा डाला गया था तथा सबसे कम दर मॉ लक्ष्मी मोटर्स मिरचाइबाडी, कटिहार को वाटर टैंकर, क्षमता–5000 ली0, कुल राशि रू0– 170000.00 प्रति अदद स्वीकृत दर से कार्यालय पत्रांक– 113 दि0– 09.04.13 के द्वारा दो अदद वाटर टैंक आपूर्ति करने हेतु आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था। कार्यालय टिप्पणी दिनांक–18.04.13 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आपूर्तिकर्ता के द्वारा दो अदद वाटर टैंक आपूर्ति हेतु अभिश्रव/भुगतान विपत्र रू0–340000.00 का कार्यालय में जमा किया था तथा उसी भुगतान विपत्र के अनुसार चेक सं0– ए 256639 दि0–18.04.13 को कुल राशि रू0–340000.00 भुगतान किया गया था। जबकि भंडार पंजी में मात्र एक अदद वाटर टैंक होने के बारे में दर्ज था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. भंडार पंजी एवं कार्यालय में अवस्थित वाटर टैंक मात्र एक अदद ही था। आपूर्तिकर्ता के द्वारा मात्र एक अदद ही वाटर टैंक आपूर्ति किये जाने कि स्थिति में ही दो अदद वाटर टैंक का मुल्य रू0–340000.00 पदाधिकारी के आदेशानुसार आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया है। अतः वाटर टैंक की आपूर्त्ति के प्रविष्टि भंडार पंजी में, अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाय। तबतक व्यय की गई राशि ₹34000 आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

14(4) फौगिंग मशीन कय में अनियमितता

दिनांक 21.08.2012 को नगर पंचायत के सामान्य बैठक में प्रस्ताव सं0– 11 में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्र के लोगों को मच्छर के प्रकोप का सामना करना पडता है जिसके लिए एक नग फौगिंग मशीन का कय हेतु कोटेशन प्राप्त करें। जिसके आलोक में कुल– 03 कम्पनियों का कोटेशन प्राप्त हुआ था तथा सबसे कम दर मेसर्स सिन्हा इन्टरप्राइजेज, दीपक मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, किशोरी मोहन कम्पलेक्स सिकरिया मोड, गया का कुल राशि रू0– 650000.00 प्रति अदद दर को स्वीकृत करते हुए आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था। आपूर्ति आदेश निर्गत होने के बाद आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति के बाद भुगतान विपत्र प्रस्तुत किया गंया था तथा चेक सं0– 256615 दि0–18.11.12

द्वारा कुल राशि रू0– 650000.00 एवं 100 ली0 केमिकल्स हेतु कुल राशि रू0–300000.00, चेक सं0–256646/30.04.13 को भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. फौगिंग मशीन एवं केमिकल्स क्रय हेतु समिति का गठन नहीं किया गया था।
2. 100 ली0 मंगाये गये केमिकल्स को भण्डार पंजी में संधारित नहीं किया गया था जिससे स्पष्ट नहीं हो सका कि केमिकल्स क्रय किया गया था कि नहीं।

अतः भण्डार पंजी में संधारण होने तक व्यय की गयी राशि रू0– 300000.00 अंकेक्षण आपति के अधीन रखा जाता है।

14(5) सेक्शन मशीन का क्रय में अनियमितता

दिनांक 21.08.12 को नगर पंचायत की सामान्य बैठक में प्रस्ताव सं0– 11 में सर्वसम्मति से एक सेक्शन मशीन के क्रय हेतु निर्णय लिया गया था जिसके आलोक में 03 कम्पनियों का कोटेशन प्राप्त हुआ था तथा सबसे कम दर रू0– 650000.00 प्रति अदद, मेसर्स सिन्हा इन्टरप्राइजेज, गया को चयन कर आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। आपूर्ति आदेश के बाद आपूर्तिकर्ता के द्वारा सेक्शन मशीन आपूर्ति के बाद भुगतान विपत्र रू0– 650000.00 का प्रस्तुत किया गया था जिसे चेक सं– ए 256621 दि0– 04.01.13 को कुल राशि रू0– 650000.00 चेक के माध्यम से भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. क्रय समिति का गठन नहीं किया गया था।
2. आपूर्तिकर्ता के साथ सभी भार्तों को दर्शाते हुए स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं कराया गया था।
3. सेक्शन मशीन आपूर्ति करने के बाद (4.01.13) इसका कोई उपयोग नहीं किया गया था तथा इससे संबंधित आरक्षण हेतु संचिका भी उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अतः, उक्त टिप्पणियों का स्पष्ट जबाव दिये जाने तक कुल राशि रू0– 650000.00 आपति के अधीन रखी जाती है।

14(6) कूडादानी के क्रय में अनियमितता

दिनांक 21.08.12 को नगर पंचायत, मनिहारी के सामान्य बैठक कें प्रस्ताव सं0–11 में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि कुल 36 अदद डस्टबीन का क्रय किया जाय जिसके आधार पर कोटेशन का मांग किया गया तथा 03 कम्पनियों के द्वारा कोटेशन प्राप्त हुआ था। तुलनात्मक विवरणी के अनुसार मेसर्स सिन्हा इन्टरप्राइजेज को निम्नतम दर होने के कारण स्वीकृति प्रदान करते हुए सामानों की आपूर्ति हेतु (1)डस्टबीन, 1100 ली0–06 अदद (2)240 ली0 –30 अदद क्रय करने हेतु कार्यालय पत्रांक–228 दि0–5.12.12 के द्वारा आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था। आपूर्ति आदेश के बाद आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति करने के बाद कुल राशि– 984000.00 चेक सं0– 256622 दि0– 4.1.13 को भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. निविदा प्रकिया हेतु दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया गया था तो दोनों कम्पनियों के द्वारा कोटेशन किस माध्यम से कार्यालय में प्राप्त हुआ था, स्पष्ट नहीं किया गया।

2. न0वि0 एवं आ0वि0, बिहार, पटना के निर्देशानुसार किसी भी सामग्रियों के क्रय के संबंध में एक क्रय समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जिला के वरीय उपसमाहर्ता स्तर के पदाधिकारी समिति के सदस्य होगें, लेकिन क्रय समिति का गठन नहीं किया गया था।

3. आपूर्तिकर्ता के भुगतान विपत्र के अनुसार कुल–06 अदद(1100 ली0) एवं 30 अदद (240 ली0) का कूडादानी मेसर्स सिन्हा इन्टरप्राइजेज के द्वारा आपूर्ति किया गया था जबकि भंडार पंजी के जॉच/मिलान में पाया गया कि मात्र– 30 अदद (240 ली0) डस्टबीन को प्राप्ति पक्ष में दर्ज किया गया था। इससे प्रतीत होता है कि बिना आपूर्ति किए ही कुल राशि रू0–390000.00 (6 अदद गुणा 65000/अदद) संबंधित आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया था। इस संबंध में निकाय द्वारा को जवाब नहीं दिया गया था।

अतः, 06 अदद डस्टबीन (1100 ली0) के आपूर्ति के संबंध में उच्च पदाधिकारी से जॉच कराया जाय तथा जॉच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित किया जाय।

14(7) सोलर स्ट्रीट लाईट का क्रय में अनियमितता (बी0आर0जी0एफ0)

दिनांक 11.07.2012 को नगर पंचायत की सामान्य बैठक में प्रस्ताव सं0– 01 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी वार्डों में सोलर लाईट अधिष्ठापन कराया जाय। जिसके आधार पर कोटेशन की मॉग किया गया था तथा कुल– 03 कम्पनियों के द्वारा कोटेशन प्राप्त हुआ था।

तीनों कम्पनियों के तुलनात्मक विवरणी के अनुसार मेसर्स कुमार टेडर्स, कटिहार को सबसे निम्नदर (रू0–23615/ प्रति अदद) रहने के कारण सोलर लाईट का अधिष्ठापन हेतु स्वीकृति दिया गया था।

मेसर्स कुमार टेडर्स, कटिहार के द्वारा कुल–60 अदद प्राप्ति के पश्चात मो0– 1560241.00 (चेक सं0– 568343 दिनांक 5.1.13) का भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

(1) सोलर लाईट के अधिष्ठापन हेतु एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं कराया गया था जिसके कारण अधिष्ठापित किये गये लाईट के गुणवता एवं रख– रखाव तथा वारंटी का कोई भी शर्त नहीं था।

(2) आपूर्ति कर्ता के द्वारा आपूर्ति किये गये सामानों का भण्डार पंजी में दर्ज नहीं किया गया था जिसके कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि सामानों की आपूर्ति किया था कि नहीं।

(3) बी0आर0जी0एफ0 मद से सोलर लाईट क्रय हेतु वार्षिक कार्य योजना में चयन एवं उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, कटिहार के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया था।

(4) कुल 60 अदद सोलर लाईट नगर पंचायत क्षेत्रों में किन स्थानों पर अधिष्ठापित किया गया था इसकी सूची संचिका में संलग्न नहीं थी तथा अधिष्ठापित किये गये सोलर लाईटों हेतु स्थानीय लाभार्थियों का भी प्रमाण पत्र नहीं था।

अतः उपर्युक्त टिप्पणियों का कारण स्पष्ट किये जाने तक व्यय किये गये राशि रू0– 1560241.00 अंकेक्षण आपति के अधीन रखा जाता है।

14(8) वैट की कटौती नहीं किया जाना

मनिहारी, नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि में क्रय किये गये सामाग्रियों पर वैट की कटौती नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	क्रय सामाग्रियों का नाम	व्यय की राशि	वैट की दर	वैट की राशि	क्रय सामग्रियों का मद का नाम
1	बैटरी के क्रय	302863	5%	15143	13वीं वित्त आयोग
2	सेलर लाईट का क्रय	1192000	5%	59600	पि.क्षे.अनु.कोष
3	वाटर टैंक का क्रय	340000	5%	17000	स्वयं के स्रोत
4	फौगिंग मशीन का क्रय	950000	5%	47500	
5	सेक्शन मशीन का क्रय	650000	5%	32500	
6	कुड़ादानी का क्रय	984000	5%	49200	
7	सेलर लाईट क्रय	1560241	5%	78012	पि.क्षे.अनु.कोष
				298955	

अतः कुल राशि रू. 298955.00 संबंधित आपूर्त्तिकर्त्ता एवं जिम्मेवार पदाधिकारियों से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

15(1) चापाकल अधिष्ठापन में अनियमितता(विधायक अनुसंशा)

नगर पंचायत, मनिहारी की सामान्य बैठक दिनांक 21.10.12 की प्रस्ताव सं0–10 के निर्णयानुसार जल की संकट को देखते हुए विधायक की अनुसंशा के आलोक में प्राप्त आवंटन से प्रत्येक वार्ड में दो–दो शैलोवेल हैण्ड पम्प की गड़ाई हेतु प्रस्ताव पारित किया गया जिसके आधार पर पी0एच0इ0डी0 विभाग के अद्यतन मॉडल प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति (23.11.12) एवं प्रशासनिक स्वीकृति (26.11.12) (इ0ओ0) के पश्चात योजना कार्य प्रारम्भ करने हेतु एकरारनामा कर कार्यादेश निर्गत किया गया था। योजना पंजी के अनुसार योजना पर व्यय एवं भौतिक स्थिति निम्न प्रकार थी–

क0 सं0	**चयनित योजनाओं की सं0**	**दर**	**प्रा0राशि**	**भुगतान की राशि/चेक सं0/ तिथि**	**भौतिक स्थिति**
1	109	8609/–	938381.00	763000/ए 256619 /29.12.12	अपूर्ण

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– 6 पर संलग्न)

(119)

अंकेक्षण टिप्पणी

(1) कार्यादेश 27.12.12 को दिया गया था जिसके अनुसार कार्य तीन सप्ताह के अंदर पूर्ण करना था। लेकिन कार्य 30.5.13 तक अपूर्ण था।

(2) चापाकल अधिष्ठापन हेतु चयनित स्थलों की सूची आवश्यक जॉच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः योजना पर व्यय की गयी रू0– 763000.00 की राशि का समायोजन/वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय।

15(2) चापाकल अधिष्ठापन में अनियमितता (चतुर्थ राज वित आयोग)

नगर पंचायत, मनिहारी की सामान्य बैठक दिनांक 21.08.12 की प्रस्ताव सं0– 10 के निर्णयानुसार जल की संकट को देखते हुए चतुर्थ वित आयोग से प्राप्त आवंटन से प्रत्येक वार्ड में दो शैलोवेल हैण्ड पम्प की गडाई हेतु प्रस्ताव पारित किया गया जिसके आधार पर पी0एच0इ0डी0 विभाग के मॉडल तैयार कर तकनीकी स्वीकृति (18.06.12) एवं प्रशासनिक स्वीकृति (6.11.12) (इ0ओ0) एवं कार्यादेश की तिथि (9.10.12) के पश्चात योजना कार्य प्रारम्भ करने हेतु एकरारनामा कर कार्यादेश निर्गत किया गया था। योजना पंजी के अनुसार योजना पर व्यय एवं भौतिक स्थिति निम्न प्रकार थी–

क0 सं0	चयनित योजना सं0/चापाकल की सं0	प्रा0 राशि	भुगतान की राशि/चेक सं0/ तिथि	भौतिक स्थिति
1	61/107	927554.00	894986 ए 256608 /9.10.12 ए 256623 /21.1.13 ए 028182 /9.10.12 ए 256612/ 9.11.12	अपूर्ण

(विस्तत विवरण परिशिष्ट– 7 पर संलग्न)

अंकेक्षण टिप्पणी

(1) कार्यादेश 9.10.12 को दिया गया था जिसके अनुसार कार्य तीन सप्ताह के अंदर पूर्ण करना था। लेकिन कार्य 31.5.12 तक अपूर्ण था। कार्य अपूर्ण रहने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

(2) प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि 6.11.12 था तथा कार्यादेश की तिथि 9.10.12 था तो प्रशासनिक स्वीकृति के पहले ही कार्यादेश कैसे निर्गत हुआ था।

(3) पी0डब्लू0डी0 कोड के अनुसार योजना से संबंधित कोई भी कार्य कराए जाने कि स्थिति में मापी पुस्त में कार्य दर्ज कराए जाने के बाद ही भुगतान किया जाना था। मापी पुस्त संलग्न नहीं था।

(4) चापाकल अधिष्ठापन हेतु चयनित स्थलों की सूची आवश्यक जॉच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः, योजना पर व्यय की गयी रू0– 894986.00 की राशि का समायोजन/वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय।

16 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

पत्रांक– 2/स्वर्ण/02/11–317 बुडा/न0वि0 वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 9.4.12 के आलोक में स्वर्ण जयन्ती के अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के युवक एवं युवतियों को विभिन्न व्यवसाय (ट्रेड) में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के नये मार्ग निर्देशों के आलोक में (1.4.09 से लागू) 234 केन्द्रीकृत सूचीबद्व संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित कराने की योजना तैयार किया गया था, जिसमें विभिन्न कुल 17 ट्रेड में (व्यवसायों में) प्रशिक्षण निकायों के माध्यम से कराने पर निर्णय लिया गया था। उक्त व्यवसाय में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक बी0 पी0 एल0 के युवाजनों को आवेदन नगर निगम कार्यालय में जमा करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजी में व्यवसाय वार पंजीकृत करना था तथा दिनांक 01.05.12 को विभिन्न व्यवसाय में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या व्यवसाय बार विभाग के बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) को प्रेषित करना था। बी0पी0एल0 संख्या की जॉच नगर प्रबंधक/नगर आयुक्त के द्वारा किया जाना था। साथ ही सभी संस्थाओं को निर्देश दिया गया कि वे प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को प्लेसमेंट सुनिश्चित करेंगें तथा जो प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार के लिए इच्छुक है, उनके आवेदन को बैंक में निकाय के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगें तथा निकाय अपने स्तर से इन संस्थाओं के अलावा कोई दूसरी संस्था से कार्य नहीं करायेगा।

पुनः पत्रांक 27 स्वर्ण–02/11–427/ न0वि0वि0 एवं आ0वि0/15.5.12 में विभागीय पत्रांक 317/ दिनांक 09.04.12 के संदर्भ में कहा गया कि नगर निकाय सुनिश्चित करेंगे कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के नये निर्देशिका में दिए गये बिन्दुओं का शत प्रतिशत पालन किया जायेगा। जिसके आधार पर प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु निम्न योग्यता एवं सत्यापन के आधार पर चयन किया जायेगा।

(1) लाभार्थियों का परिवार संबंधित शहरी निकाय क्षेत्र के बी0पी0एल0 परिवार के सूची में होना चाहिए था।

(2) वैसे लाभार्थी जिनके पास अपना बी0पी0एल0 संख्या या बी0पी0एल0 परिवार कार्ड उपलब्ध नहीं है, वैसे लाभार्थी अपना बी0पी0एल0 संख्या नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के विभागीय बेबसाइट के अरबन बी0पी0एल0 लिस्ट के लिंक पर देखकर अपना बी0पी0एल0 संख्या आवेदन में अंकित कर आवेदन जमा कर सकते थे।

(3) आवेदक द्वारा अपनी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की छाया की प्रति संलग्न कर आवेदन के साथ जमा करना होगा।

(4) अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों के लिए 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। अतः आरक्षित श्रेणी के आवेदक को जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा।

(5) लाभार्थी की उम्र 18–35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए लाभार्थी अपना वोटर आई0डी0 कार्ड/डाइविंग लाइसेंस/ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/स्कूल परित्याग प्रमाण पत्र आदि से उम्र की जॉच की जा सकती है।

(147

(6) आवेदक को आवेदन की पावती दिया जाना था।

जिसके आधार पर नगर पंचायत, मनिहारी के पत्रांक– 116 दिनांक 2.7.12 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 507 दिनांक 12.6.12 के आलोक में दिनांक 30.6.12 तक व्यवसाय वार कुल 153 प्राप्त आवेदनों की सूची उप निदेशक बिहार शहरी विकास अभिकरण, पटना को सूचित किया गया था।

सरकार के पत्रांक 2/स्वर्ण–02/11–927 न0वि0वि0 एवं आ0वि0 पटना दिनांक 6.9.12 के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व संस्थाओं के साथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने के पूर्व आप निम्नलिखित बिन्दुओं पर संस्थाओं की जॉच कर लेंगे।

(1) क्या इस संस्था को पूर्व में इस तरह के प्रशिक्षण कराने का अनुभव था अथवा नहीं।

(2) संस्थाओं/एजेंसियों के पास वैसे प्रशिक्षक होने चाहिए जिनको संबंधित व्यवसाय में 3 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।

(3) संस्थाओं के पास पर्याप्त क्लास रूम प्रयोगशाला या अन्य आधारभुत सुविधाएँ उपलब्ध होने चाहिए।

(4) संस्थाओं /एजेन्सियों को प्रशिक्षण के उपरान्त लाभार्थियों को एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना था।

(5) संस्था /एजेन्सियों के पास प्रशिक्षण स्थल पर कम से कम 1500 वर्गफीट का स्थान होना चाहिए।

(6) प्रशिक्षण प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे का होना चाहिए था।

(7) कम्प्युटर प्रशिक्षण हेतु कम से कम 10 सेट कम्प्युटर होना चाहिए था।

(8) संस्थाओं /एजेन्सियों को प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता हो।

सरकार के पत्रांक 2/स्वर्ण–02/11–1027/न0वि0वि0 एवं आ0वि0 /दिनांक 5.10.12 के द्वारा प्रसंग विभागीय पत्रांक 927/6.9.12 पत्रांक 975/20.9.12 एवं पत्रांक 1010/27.9.12 के द्वारा दिनांक 3.10.12 तक इमपैनल्ड संस्थाओं में से किसी के साथ एकरारनामा कर प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कराये अन्यथा बाध्य होकर राज्य स्तर से ही इम्पैनल्ड संस्थाओं को आपके सम्बद्व कर दिया जायेगा।

जिसके आधार पर नगर परिषद, मनिहारी में स्वर्ण जयन्ती योजनांतर्गत प्रशिक्षण देने हेतु इच्छुक कुल 7 एजेंसियों की तुलनात्मक विवरणी के अनुसार (1) सोशल वेलफेयर इन्फोटेक ऑर्गेनाइजेशन, दुर्गा स्थान, कटिहार एवं (2) संजीवो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम प्रा0लि0 एच/नं0/आर0सी0ए073/74 गीता मेंशन/सेक्टर –4, बी0एच0 कालोनी, पटना–26 को निम्नलिखित व्यवसायों के प्रशिक्षण हेतु चयन कर एकरारनामा किया गया था–

संस्था का नाम	व्यवसाय का नाम	दर
1. सोशल वेलफेयर इन्फोटेक ऑर्गेनाइजेशन	1. कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	8000.00
2. संजीवो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम प्रा0लि0, पटना	1. कम्प्युटर सॉफ्टवेयर 2. मल्टी मीडिया 3. स्पोकेन इंग्लिश 4. स्टेनोग्राफी	8000.00 6500.00 4300.00 6500.00